संख्या- 780/2016/2545/69-1-16-80(म0बं0-83)/2016

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक :02 दिसम्बर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसी की 17 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3799/10/छ:/अ0स0/वाराणसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-वाराणसी की नगर निगम वाराणसी की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 17 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 549.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 274.565 लाख (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमश:..........2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

क्रमशः...........3

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत् जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 788/2016/2545(1)/69-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 788/2016/2545/69-1-16-80(म0ब0-83)/2016 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (50 प्रति0) के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	नगर निगम वाराणसी	मोहल्ला पुलकोहना पुरानापुल पार्ट-बी में कमरुद्दीन के मकान से रामाश्रय गोड़ के मकान तक, ओमप्रकाश सोनकर के मकान से इण्टरलाकिंग गली तक, इण्टरलाकिंग वाली गली से महेन्द्र राजभर के मकान तक एवं ओमप्रकाश सोनकर के मकान से सफाई लाल सोनकर के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	37.53	18.765
2	तदैव	तदैव	मोहल्ला पुलकोहना पुरानापुल पार्ट-सी में चुनार मार्ग से मुन्ना के मकान तक, मुन्ना के मकान से न्यू सारनाथ रोड तक एवं सा 22/153 से ओमप्रकाश सोनकर के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	33.30	16.65
3	तदैव	तदैव	मोहल्ला रूप्पनपुर उर्फ पैगम्बरपुर में चकबीही टडिया मार्ग से दीपचरन राजभर के मकान तक, दीपचरन के मकान से निकट म0नं0 सा0 20/21-आर0-जे0 तक, म0नं0 सा0 20/21-आर0-जे0 तक, म0नं0 सा0 20/21-आर0-जे0 से के पास तक, म0नं0 सा0 20/23-आर से चौका पत्थर तक, म0नं0 सा0 2/23-आर से केदार यादव के मकान तक, केदार यादव के मकान से बन्द गली तक, म0नं0 सा 20/21-एच-1 सी से सा 20/21-एन-1 सी तक, सा0 20/22 एच-सी के पास, सा 20/22-एच-1 सी से सा 20/21-जी-2 तक, सा 20/21-जी के पास, केदार यादव मकान वाली गली, केदार के मकान से सा 20/21-आर-एस तक, सा 20/21-आर-एस से पत्थर चौका गली तक, सा 20/22-ए-1 वाली गली, उमाशंकर के मकान से चौका तक, केदार मौर्या भवन के बगल गली, केदारनाथ का मकान के पश्चिम गली, खन्झाटी के मकान से सा 20/21-एन-1-सी तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	39.52	19.76
4	तदैव	तदैव	मोहल्ला नई बस्ती हुकुलगंज में मटरू सोनकर के मकान से राजेन्द्र सोनकर के मकान तक, संतोष सोनकर के मकान से नत्थू सोनकर के मकान तक, नन्हकू सोनकर के मकान से एस0 10/244 के	21.77	10.885

			मकान तक, नत्थू सोनकर के मकान से बुद्धु सोनकर के मकान तक, बुद्धु के मकान से रामकिशुन मौर्या के मकान तक, रामकिशुन मौर्या के पास, सुनील के मकान से किशुन कुशवाहा के मकान तक, रामनरायन के मकान से सुनिल के मकान तक, चौका गली से एस0 9/34 सी0 तक, सुनिल के मकान से नाला तक, सुनिल के मकान से रतन के मकान तक, रतन के मकान के पास एवं किशुन मौर्या के मकान से किशन कुशवाहा के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
5	तदैव	तदैव	मोहल्ला लहरतारा पसियाना मलिन बस्ती में जी0टी0 रोड से चौरा माता मंदिर तक, भोला सरोज के मकान से कुमारी देवी के मकान तक, बड़ेलाल सरोज के मकान से कुऑं तक, कुऑं के पास, कुऑं से रविलाल सरोज के मकान तक, रविलाल सरोज के मकान से सेचन विश्वकर्मा के मकान तक एवं सेचन विश्वकर्मा के मकान से कमलेश के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	31.54	15.77
6	तदैव	तदैव	मोहल्ला लहरतारा फुलवरिया रोड में डी0 65/342-13 से डी0 65/342-सी-ए-1 तक, डी0 65/342-सी-ए-1 से विरेन्द्र पासी के मकान तक, डी0 65/342-13 के मकान से रामगोविन्द के मकान तक एवं संतोष के मकान से डी0 65/342-ए-के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10.56	5.28
7	तदैव	तदैव	मोहल्ला लहरतारा सोनकर में विवेक कुमार के मकान से प्लाट नं0 डी0 138/3 के मकान तक, विवेक कुमार के मकान से महेन्द्र कुमार गौतम के मकान तक, मकान नं0 डी0 65/11-5 के पास, भाऊचन्द्र सोनकर के मकान से मकान नं0 डी0 65/11-5 के आगे तक, प्रकाश के मकान तक एवं प्रकाश के मकान से शिवकुमार भारती के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	25.81	12.905
8	तदैव	तदैव	मोहल्ला सरायनानदन मैनावा पोखरी में एन 14/241 से स्टेट 20 मीटर तक, एन 14/241 से स्टेट 20 मीटर के बाद 15 मीटर तक, एन 14/241 से स्टेट 80 मीटर तक, एन 14/241 से स्टेट 60 मीटर तक, एन 14/241 से 30 मीटर तक, तिराहा से स्टेट 50 मीटर तक, एन 14/176 से स्टेट 40 मीटर तक, एन 14/226 से स्टेट 20 मीटर तक, एन 14/176 से स्टेट 20 मीटर के बाद तक, एन 14/214 से 60 मीटर के बाद 50 मीटर तक, एन 14/214 से स्टेट 60 मीटर तक, 14/214 के पास 20 मीटर तक,	37.60	18.80

			14/214 के पास 15 मीटर तक, 14/214 के पास 60 मीटर तक, 14/224 के पास 30 मीटर तक, 14/241 के पास 50 मीटर तक एवं मैनावा पोखरी के पास जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
9	तदैव	तदैव	मोहल्ला बंधवानाला मौजा हाल में सोती राम के मकान से मोढ़ तक, मोढ़ से पार्क तक, पार्क मोढ़ से जमुना राजभर के मकान तक, जमुना राजभर के मकान से त्रिदेव मन्दिर तक, पारू सोनकर के मकान से देवराज प्रजापति के मकान तक, देवराज प्रजापति के मकान से गुलाब यादव के मकान तक एवं देवराज प्रजापति के पश्चिमी गली में जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	32.58	16.29
10	तदैव	तदैव	मोहल्ला बंधवानाला नई बस्ती पार्ट-ए में पारस नाथ पाल के मकान से बुद्दु पाल के मकान तक, बुद्दुपाल के मकान से मेवा लाल के मकान तक, चौरा माता मन्दिर से प्रेमचन्द्र के मकान तक, नन्हे पाल के मकान से एस 9/311-1 तक, एस 9/295 के मकान से रविशंकर के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से रामनाथ के मकान तक, रविशंकर के मकान से पारसनाथ के मकान तक, प्रेमचन्द्र के मकान से रामनाथ पाल के मकान तक, एस 9/311-1 के मकान से पारसनाथ पाल के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	33.12	16.56
11	तदैव	तदैव	मोहल्ला बंधवानाला नई बस्ती पार्ट-बी में प्रेमचन्द्र के मकान से पांचू पाल के मकान तक, रामनाथ मौर्य एस 9/311-1 तक, एस 9/311-के मकान से एस 9/206-ए-2 के मकान तक, एस 9/206-ए-2 के मकान से घुरेपाल के मकान तक, एस 9/298 के मकान से एस 9/318 के मकान तक, एस 9/298 से आर जे पाल के मकान तक एवं एस 9/298 के मकान से बुद्दु पाल के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	39.72	19.86
12	तदैव	तदैव	मोहल्ला अनौला कुबेर नगर पार्ट-ए में राजाराम सोनकर के मकान से शिवकुमारी के मकान तक, शिवकुमारी के मकान से ए 28/9-11-6 के मकान तक, ए 28/111ए के मकान से ए 28/1-बी-1 के मकान तक एवं शिवकुमारी के मकान से मोढ़ तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	35.84	17.92
13	तदैव	तदैव	मोहल्ला अनौला कुबेर नगर पार्ट-बी में शिवकुमारी के मकान के आगे से गोरखनाथ तक, गोरखनाथ पटेल सुरेन्द्र तक, सुरेन्द्र के मकान से एस0 28/9-ए-एक्स के मकान तक, सुरेन्द्र के बगल में, सुशीला	39.45	19.725

			देवी के मकान से लालजी के मकान तक, मल्लू के मकान से कुआँ तक, रमेश के मकान से अनिल के मकान तक, विद्यावती देवी के पास, अनिल के मकान से विद्यावती देवी के मकान तक, कुओं से लालजी के मकान तक, एस0 28/9 एक्स-3 के मकान से लालजी यादव के मकान तक एवं गोरखनाथ पटेल के उत्तर तरफ जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
14	तदैव	तदैव	मो0 मवईला पैगम्बरपुर में विश्वनाथ यादव के मकान से नाला तक, नाला के पास से नाला के पास वाली गली मकान नं0 सा0 21/48 के पास तक, मकान नं0 सा0 21/48-एस-के चन्द्रबली के मकान तक, जवाहिर के मकान वाली गली, चन्द्रबली के मकान से मकान नं0 सा0 21/43-ए के मकान तक, मकान नं0 स0 21/36-ए के मकान से राजपति चौहान के मकान तक, राजपति चौहान के मकान के पास, इण्टरलाकिंग मार्ग से आन्नद के मकान तक, बनारसी के मकान वाली गली, हैण्डपम्प से शकील अहमद के मकान तक, शकील अहमद के मकान से मो0 शमीम के मकान तक, मो0 शमीम के मकान वाली गली एवं मो0 शमीम के मकान से मंजू के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	39.39	19.695
15	तदैव	तदैव	मोहल्ला हवेलियागंज में सा0 10/21 के मकान से मनोज के मकान तक, मनोज के मकान से सा0 10/54 के मकान तक, सा0 10/54 के मकान से चौका तक, चौका से सा0 10/53 के मकान तक, सा0 10/54 के मकान से सा0 10/51 के मकान तक, सा0 10/51 के मकान से मनोज के मकान तक, सा0 10/51 के मकान से सा0 10/35 के मकान तक, सा0 10/55 के मकान से सा0 10/35 के मकान तक, सा0 10/35 के मकान से सा0 10/36 के मकान तक, सा0 10/48 के मकान से सा0 10/49 के मकान तक, सा0 10/46 के मकान से रामू यादव के मकान तक, रामू यादव के मकान से पंचम यादव के मकान तक, सा0 10/36 के मकान से सा0 10/41 के मकान तक एवं सा0 10/35 के मकान से चौका तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	29.00	14.50
16	तदैव	तदैव	मोहल्ला सारंग तालाब मौजा हाल में जवाहिर यादव का मकान के पास, जवाहिर यादव के मकान से नरेश यादव के मकान तक, म0नं0 सा 18/132 से लल्लन राजभर तक एवं कल्लू राजभर के मकान से	22.81	11.405

			अवध बिहारी के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
17	तदैव	तदैव	मो0 रूप्पनपुर, पैगम्बरपुर मौर्या में जवाहिर मौर्या के मकान से जंगली मौर्या के मकान तक, जंगली मौर्या के मकान से कलावती देवी के मकान तक, दिलीप राजभर के मकान से मकान नं0 सा0 20/51-जे-एम बबलू के मकान तक, कलावती देवी के मकान से माया देवी के मकान तक, माया देवी के मकान से सियाराम के मकान तक, सियाराम के मकान से मंदिर तक, मंदिर वाली गली, मंदिर से मकान नं0 सा0 20/22-ए-10 के मकान तक, दशरथ मौर्या के मकान से पप्पू मौर्या के मकान तक, पप्पू मौर्या के मकान से शिवजी मंदिर तक, सियाराम के मकान से मुन्नू मौर्या के मकान तक एवं शिवजी मंदिर से पुल्ली मौर्या के मकान जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	39.59	19.795
			योग	549.13	274.565

(रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार पॉच सौ मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।